संख्या-2/2024/920/001-22-4-2022-1754114

प्रेषक,

शिव गोपाल सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक 4 जनवरी, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की कारागारों में आधुनिक सुरक्षा उपकरणों की व्यवस्था हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29860/आधु0-1/कार्ययोजना/23-24, दिनांक-27-09-2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रदेश की 73 कारागारों में बायोमैट्रिक्स फिन्गर प्रिन्ट एण्ड फेस रिकगनेशन अटेण्डेन्स मशीन, 05 कारागारों में 2 कैशलेस कैण्टीन सिस्टम, 15 कारागारों में फेशियल रिकगनेशन सिस्टम, 05 कारागारों में ड्रोन कैमरा, 19 कारागारों में 600 सीसीटीवी कैमरा 19 सर्वर आनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरण, 73 कारागारों में डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर, 73 कारागारों में हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर, 25 कारागारों में पैनिक अलार्म सिस्टम, 15 कारागारों में हैवी ड्यूटी वाशिंग मशीन (60 कि०ग्रा० क्षमता), 15 कारागारों में हैवी ड्यूटी स्टैब्लाईजर (500 केवीए), 25 कारागारों में लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम एवं 41 कारागारों में हेल्थ ए०टी०एम० की व्यवस्था किये जाने हेतु निम्न सारणी के स्तम्भ-6 में अंकित धनराशि **रूपये 2802.33 लाख (रूपया अट्ठाईस करोड़ दो लाख तैंतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष प्रदान करते है:-

क्र0	प्रस्तावित कार्य मद	कारागारों की संख्या	मात्रा	लागत प्रति यूनिट	कुल लागत (रूपये लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बायोमैट्रिक्स फिन्गर प्रिन्ट एण्ड फेस रिकजनेशन अटेण्डेन्ट मशीन	73	73	45000	32.85

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2	कैशलेस कैण्टीन सिस्टम	05	20	2000000	100.00
3	फेशियल रिकजनेशन सिस्टम	15	15	1622500	243.38
4	ड्रोन कैमरा	5	5	687000	34.35
5	सी0सी0टी0वी0 कैमरा, सर्वर आनलाईन यूपीएस व अन्य सहवर्ती उपकरण	19	600 कैमरा 19 सर्वर	-	641.135
6	डोरफ्रेम मेटल डिटेक्टर	73	146	245000	357.70
7	हैण्डहेल्ड मेटल डिटेक्टर	73	292	13500	39.42
8	पैनिक अलार्म सिस्टम	25	25 यूनिट	1575000	393.75
9	हैवी ड्यूटी वांशिग मशीन (60 कि0ग्रा0 क्षमता)	15	15	1515000	227.25
10	हैवी ड्यूटी स्टैब्लाइजर (500केवीए)	15	15	1250000	187.50
11	लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम	25	25 यूनिट	540000	135.00
12	हेल्थ ए0टी0एम0	41	41	1000000	410.00
	योग				**2802.33**

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं /सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 23.08.2017 के अनुसार गर्वमेन्ट ई-मार्केटप्लेस (जेम) के माध्यम से किया जायेगा ।

(2**) कारागार मुख्यालय द्वारा उपकरणों के क्रय हेतु निर्धारित की जाने वाली विशिष्टियों पर शासन से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। तदोपरान्त ही क्रय संबंधी अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।**

(3) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा धनराशि आहरित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उक्त कार्य हेतु पूर्व में धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है । स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा जब उपकरणो की निर्धारित क्रय प्रक्रिया पूर्ण कर ली गयी हो।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणो/सामग्री की गुणवत्ता एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में क्रेता इकाई / महानिरीक्षक, कारागार पूर्णतः संतुष्ट हो लेंगे। क्रय किये जा रहे उपकरणो की गुणवत्ता निर्धारित मानक के अनुरूप हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) उपकरणो के क्रय हेतु स्वीकृत धनराशि की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा, यदि कोई धनराशि बचती है तो अवशेष धनराशि के सापेक्ष कोई अन्य उपकरणो का क्रय न किया जाय ।

(6) स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में दि0 31-3-2024 तक करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) महानिरीक्षक, कारागार द्वारा विवरणानुसार कार्य पूर्ण होने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 28,02,33,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ दो लाख तैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 025 **लेखा शीर्षक** 4070008001400 कारागारों के लिए उपकरणों, संयंत्रों एवं वाहन आदि की व्यवस्था **मानक मद** 26 मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-12-356-X-2023-24, दिनांक: 3.1.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-2/2024/920/001-22-4-2022-1754114, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) निजी सचिव,मा0राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार विभाग, उ0प्र0।
(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय लखनऊ।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।